EMRS

कार्यालय सचिव मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसायटी (MPSARAS) भोपाल

क्र./एमपीसरस/464/2020/886 भोपाल दिनांक 27.07.2020

प्रति,

सर्व कलेक्टर/अध्यक्ष,
मध्यप्रदेश स्पेशल एंड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसायटी
(एमपीसरस) जिला स्तरीय समिति
मध्यप्रदेश

विषय:-मध्यप्रदेश स्पेशल एंड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसायटी (एमपीसरस) के बायलाज एवं भर्ती नियम की स्वीकृति बाबत ।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन, आदिमजाति कल्याण विभाग के ज्ञापन क्रमांक/3-1/2015/25-2/336 दिनांक 14.7.2020

विभाग द्वारा विशिष्ट आवासीय विद्यालयों का संचालन मध्यप्रदेश स्पेशल एंड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसायटी (एमपीसरस) के अधीन किया जा रहा है जिसकी सूची सलग्न है । उक्तानुसार मध्यप्रदेश स्पेशल एंड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसायटी (एमपीसरस) के नवीन संशोधित बायलाज की प्रति संलग्न है उक्त बायलाज में दिए गए निर्देशानुसार इन विद्यालयों का संचालन करें ।

28/7/20

आयुक्त आदिवासी विकास
सह सचिव
मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसिडेंशियल एकेडमिक
सोसायटी (MPSARAS) भोपाल

क्र./एमपीसरस/464/2020/887 भोपाल दिनांक 27.07.2020

प्रतिलिपि:-

1.प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिमजाति कल्याण विभाग ।

2.समस्त संभागीय उपायुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश ।

3.सर्व सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश ।

4. सर्व प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मध्यप्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त आदिवासी विकास
सह सचिव
मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसिडेंशियल एकेडमिक
सोसायटी (MPSARAS) भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल,दिनांक 14-7-2020

क्रमांक/एफ 3-1/2015/25-2/336

प्रति,

आयुक्त,
आदिवासी विकास,
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय:- मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसायटी (MPSARAS) के बायलॉज एवं भर्ती नियम की स्वीकृति ।

मंत्रि परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 15 दिनांक 27 नवम्बर 2019 के अनुमोदन अनुसार मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्रालय आदेश क्रमांक एफ 03-01/2015/25-02/964 भोपाल दिनांक 28.12.2019 के द्वारा विभागीय 123 विशिष्ट आवासीय विद्यालय का संचालन मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसायटी (MPSARAS) के अधीन किये जाने की स्वीकृति दी जाकर सोसायटी के बायलॉज की स्वीकृति दी गई थी ।

शासन आदेश द्वारा स्वीकृत बायलॉज की कंडिका - 25 सोसायटी के बायलॉज की वैधता/संशोधन में लेख है कि "समय-सनय पर इन नियमों में संशोधन/परिवर्तन संचालक मण्डल की अनुशंसा पर आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा किया जा सकेगा"। मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसायटी (MPSARAS) के प्रचलित बायलॉज की कंडिकाओं में परिशिष्ट 'अ' अनुसार संशोधन कर संचालक मण्डल की 35वी बैठक दिनांक 17.06.2020 में अनुमोदन प्राप्त किया गया हैं ।

उक्त के साथ ही मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसायटी (MPSARAS) के अंतर्गत संचालित 123 विशिष्ट आवासीय विद्यालयों तथा राज्य स्तरीय सोसायटी के पदों के लिए तैयार भर्ती नियमों का परिशिष्ट 'ब' अनुसार संचालक मण्डल की 35वी बैठक दिनांक 17.06.2020 में अनुमोदन प्राप्त किया गया हैं ।

उपरोक्तानुसार परिशिष्ट 'ब' अनुसार संशोधित बायलॉज एवं परिशिष्ट 'स' अनुसार भर्ती नियमों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाती हैं ।

उक्त बायलॉज एवं भर्ती नियम जारी होने के दिनांक से लागू होगें ।

AD (EMRS)

(सुषमा शर्मा)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग

(2)

[illegible] 3-1/2015/25-2/336 भोपाल,दिनांक 14/07/2020

[illegible]

1. [illegible] सहायक, माननीय मंत्री, आदिम जाति कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग।
3. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
4. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन ।
5. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
6. आयुक्त कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल।
7. सर्व संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
8. वित्तीय सलाहकार, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग।
9. सर्व संबंधित संभागीय उपायुक्त मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश।
10. सर्व संबंधित सहायक आयुक्त/जिला संयोजक मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश ।
11. सर्व संबंधित प्राचार्य कन्या शिक्षा परिसर, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, आदर्श उमावि मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश ।
12. आई.टी. शाखा प्रभारी, कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास की ओर विभागीय वेब-साइट पर अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाईल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(सुषमा शर्मा)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग